

## आवंटनादेश

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक:- 7-2-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-2812 दिनांक-16.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 20-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विषयशीर्ष-0108.20.03 प्रशिक्षण व्यय से ₹ 2,95,000/- (₹ दो लाख पन्चानवे हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दि.-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दि.-26.04.2017, पत्रांक-1208/वि0 दि.-13.12.17 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2)दि.-17.04.98 के आलोक में है।
3. आवंटित की जा रही राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त की गयी है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

06/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/17 श्र0सं0:-

135

पटना, दिनांक

7-2-18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

06/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/17 श्र0सं0:-

135

पटना, दिनांक

7-2-18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/02/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।